संख्याः3/2018/1541/31-2018-65/2014टी0सी0

प्रेषक,

डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त नोडल अधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार)
उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः दिनांकः 23 जुलाई, 2018**

विषयः-शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु नवीन व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 3/2017/1003/31-2017-65/2014टी0सी दिनांकः 02 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्याः 4/2017/1219/31-2017-65/ 2014 टी0सी दिनांकः 11 अगस्त, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण तथा जनसमस्याओं का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित कराने हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्येक जनपद हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जनपद हेतु नामित नोडल अधिकारियों में कतिपय परिवर्तन कर संलग्न संशोधित सूची **(संलग्नक-1)** के अनुसार आपको जनपदों का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नोडल अधिकारियों का भ्रमण मात्र औपचारिकता न होकर जनसामान्य के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्न नवीन व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(2.1) सभी नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद में प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में दो दिन का भ्रमण करेंगे। प्रथम दिन नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित जनपद में पूर्वान्ह 10:00 बजे तक अवश्य पहुँच कर कम से कम दो कार्यालयों यथा कलेक्ट्रेट, थाना, तहसील, विकास खण्ड, शिक्षा भवन, चिकित्सालय आदि का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान आम जनता की मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के साथ कार्यालयों की साफ-सफाई, रंगाई पुताई आदि पर फोकस करेंगे।

(2.2) कार्यालयों का निरीक्षण करते समय यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि आम जनता को कार्यालयों में आने पर उनकी समस्याओं का निराकरण हो। फील्ड स्तरीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारियों/कर्मचारियों में मानवीय संवेदनाओं के प्रति जागरूक कर आम जनता को लाभ पहुचाएं।

(2.3) निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन अधिकारी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से करा रहे हैं और कौन अधिकारी क्रियान्वयन में शिथिलता बरत रहे हैं। शिथिल व कर्तव्यविमुख अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करायी जाए।

(2.4) कार्यालयों के निरीक्षण के उपरान्त नोडल अधिकारी किसी एक ग्राम का आकस्मिक निरीक्षण करेगें। निरीक्षण से पूर्व ग्राम में संचालित योजनाओं का विवरण जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ग्राम में एक खुली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के भौतिक कार्यों एवं लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा तथा एक वर्ष की अवधि में आयोजित तहसील/थाना समाधान दिवसों एवं आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त समस्त प्रकार की शिकायतों का विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके निस्तारण की पुष्टि रैण्डम आधार पर नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2.5) नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालयों में जाकर अवश्य देखी जाए। यह भी सुनिश्चित कराएं कि छात्र/छात्राओं को यूनीफार्म, किताबें आदि का समय से वितरण हो। कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकें।

(2.6) नोडल अधिकारी द्वारा नगर निगम, नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के किसी एक वार्ड का निरीक्षण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी एवं अमृत योजना के अन्तर्गत नगर निकायों में आवश्यकतानुसार पूर्वनिर्मित पार्कों को विकसित कराने तथा नए पार्कों को बनाए जाने की कार्य योजना तैयार करायी जाएगी। पार्कों के सौन्दर्यीकरण हेतु जनसहयोग प्राप्त करने हेतु जनता को प्रेरित किया जाए।

(2.7) शहरों की मलिन बस्तियों का निरीक्षण किया जाएगा तथा वहाँ साफ-सफाई हेतु जनता को प्रेरित किया जाए। आवश्यकतानुसार मलिन बस्तियों में महिला/पुरूष शौचालयों, स्नानागार तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बनाए जाने हेतु सम्बन्धित नगर निकायो को निर्देशित किया जाए।

(2.8) जनपदों में ऐतिहासिक इमारतों तथा पौराणिक स्थलों पर एल0ई0डी0 लाइटिंग की व्यवस्था करायी जाए।

(2.9) प्लास्टिक पालीथीन के उपयोग पर चरणबद्ध रूप से प्रतिबन्ध दिनांक 15 जुलाई, 2018 से लागू कर दिया गया है। नोडल अधिकारी द्वारा प्लास्टिक पालीथीन के उपयोग पर प्रतिबन्ध के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2.10) नोडल अधिकारी द्वारा रात्रि में नगरीय भ्रमण कर शहर की सामान्य वस्तुस्थिति ज्ञात की जाए।

(2.11) सार्वजनिक स्थलों पर पान/गुटखा/तम्बाकू/पान मसाला पूर्णतः प्रतिबन्धित है। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(2.12) जनपद के ग्रामों अथवा कस्बों में लगने वाले हाटों की आवश्यकतानुसार जगह चिन्हित कराकर मण्डी परिषद के सहयोग से फुटकर विक्रेताओं के लिए पेयजल/शौचालय/चबूतरे आदि की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार कराएं।

(2.13) शमशान घाटों की साफ-सफाई, मार्ग व्यवस्था तथा लोगो के बैठने हेतु शेड की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिए जाएं।

(2.14) डायल 100, 181 एवं 1090 के सम्यक प्रचार-प्रसार की जानकारी नोडल अधिकारी द्वारा जनता से ज्ञात की जाए। इन नम्बरों का डायल जनता द्वारा कब करना है इसका प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि इसका दुरूपयोग न हो।

(2.15) भारत सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का प्रचार-प्रसार वाल पेंटिंग इत्यादि के माध्यम से कराया जाए।

(2.16) नोडल अधिकारी द्वारा जनपद में सड़क सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। सड़क सुरक्षा हेतु साइन बोर्ड लगवाए जाएं एवं एकीकृत परिवहन प्रबन्ध प्रणाली (Integrated transport management system) के अन्तर्गत कार्यवाही करायी जाए।

(2.17) नोडल अधिकारी जनपद भ्रमण के दूसरे दिन अधिकारियों के साथ जनपद मुख्यालय पर योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। जनपद पर समीक्षा बैठक **संलग्नक-2** में उल्लिखित कार्यक्रमों से सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। संलग्न योजनाओं के अतिरिक्त नोडल अधिकारी द्वारा अपने विभागीय येजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है। शिथिलता पाए जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

(2.18) बैठक समाप्ति के पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं विशेष रूप से बड़ी लागत की कम से कम दो परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता के साथ-साथ कार्य पूर्ण करने की समयबद्धता की समीक्षा भी अवश्य की जाये। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी अपने साथ जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभियन्ताओं की टीम साथ लेकर जायेंगे। उक्त टीम में उस विभाग के अभियन्ता शामिल नहीं किये जायेंगे, जिस विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया जाना हो, परन्तु उस विभाग के उत्तरदायी अधिकारी निरीक्षण के समय अवश्य उपस्थित रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. जनपद हेतु नामित मा0 प्रभारी मंत्री द्वारा माह के चतुर्थ सप्ताह में जनपद की समीक्षा की जाएगी। नोडल अधिकारी द्वारा माह के द्वितीय सप्ताह में जनपद में किए गए निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट मा0 प्रभारी मंत्री एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। मा0 प्रभारी मंत्री द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निमार्ण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मा0 प्रभारी मंत्री द्वारा की गई समीक्षा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जनपद के नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

4.1 नोडल अधिकारी के जनपद भ्रमण के दौरान प्रवास, वाहन सुरक्षा एवं वांछित लिपिकीय सहयोग आदि की समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी।

4.2 जनपद की सभी प्रमुख परियोजनाओं, कार्यों, योजनाओं व प्राथमिकताओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा इन योजनाओं का लाभ जनता को ससमय उपलब्ध कराए जाने हेतु नोडल अधिकारी जनपद एवं शासन के मध्य सेतु की भॉति कार्य करेगें। भ्रमण के दौरान जनता द्वारा उठाइ गई समस्याओं का समाधान नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि किसी कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में जनपद एवं शासन स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक का समाधान तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित करेगें। नोडल अधिकारी आवंटित जनपद के विकास में अहम भूमिका निभायेंगे।

4.3 नोडल अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्तमान पद से किसी अन्य पद (मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी पद को छोड़कर) पर भी अधिकारी को आवंटित जनपद यथावत रहेगें।

5. नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में एकरूपता लाने हेतु निरीक्षण आख्या को पॉच खण्डो यथा प्रथम खण्ड, द्वितीय खण्ड, तृतीय खण्ड, चतुर्थ खण्ड एवं पंचम खण्ड में विभक्त किया जाए। निरीक्षण आख्या के प्रथम खण्ड में बैठक की समीक्षा, द्वितीय खण्ड में परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, तृतीय खण्ड में कार्यालयों का निरीक्षण, चतुर्थ खण्ड में ग्राम का भ्रमण/निरीक्षण एवं पंचम खण्ड में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यथा निरीक्षण के दौरान कमियों हेतु दोषी पाए गए अधिकारियों एवं कर्मियों का विवरण तथा अति महत्वपूर्ण विशिष्ट सुझावों का उल्लेख भी इस खण्ड के अन्तर्गत करेंगे। निरीक्षण आख्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग** के वेबसाइट **upkkv.in** पर माह के **तृतीय सप्ताह** तक अवश्य अपलोड करा दी जाए। निरीक्षण आख्या में इंगित बिन्दुओं पर अनुपालन प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन कराया जाएगा। इस संबंध में सभी प्रशासकीय विभागों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड शासनादेश संख्याः 1806/31-2017-65/2014टी0सी0 दिनांकः 16.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्याः- 3/2018/1541(1)/31-2018-65/2014टीसी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सविव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः-3/2018/1541(2)/31-2018-65/2014टीसी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस उपमहानिरीक्षक (परिक्षेत्र), उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः-3/2018/1541(3)/31-2018-65/2014टीसी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं मा0 राज्य मंत्री उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मा0 मंत्री जी को तद्नुसार निरीक्षण करने हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सलग्नक-1

सत्यापन कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी व उनको आंवटित जनपदों की सूची

क्र0 सं0	नोडल अधिकारी सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री	वर्तमान तैनाती	आवंटित जनपद
1	2	3	4
1	राजन शुक्ला	प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन	उन्नाव
2	टी0वेंकटेश	प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन	लखनऊ
3	कल्पना अवस्थी	प्रमुख सचिव, आबकारी तथा वन एवं पर्यावरण	गाजियाबाद
4	अजय कुमार शुक्ल	सचिव, वित्त	सुल्तानपुर
5	राजेश कुमार सिंह	प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	गौतम बुद्ध नगर
6	महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	बस्ती
7	महेश कुमार गुप्ता	अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं सचिवालय प्रशासन	आगरा
8	राजेन्द्र कुमार तिवारी	अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज	बरेली
9	अमित गुप्ता	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लि0	सोनभद्र
10	नवनीत कुमार सहगल	प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग	रायबरेली
11	डा0 अनीता भटनागर जैन	महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0	बाराबंकी
12	आलोक सिन्हा	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स	कानपुर नगर
13	अपर्णा यू	सचिव, ऊर्जा	फतेहपुर
14	कुमार कमलेश	अपर मुख्य सचिव, होमगार्डस	बुलन्दशहर
15	सुरेन्द्र विक्रम	विशेष सचिव, सिंचाई	मिर्जापुर
16	रेणुका कुमार	अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण एवं राजस्व	सहारनपुर
17	आराधना शुक्ला	प्रमुख सचिव, परिवहन	बागपत
18	रमा रमण	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कानपुर नगर	मेरठ
19	राजमणि यादव	सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन	श्रावस्ती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20	नितिन रमेश गोकर्ण	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	आजमगढ़
21	डा0 रजनीश दुबे	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा	वाराणसी
22	गौरी शंकर प्रियदर्शी	सचिव, नगर विकास	फर्रूखाबाद
23	मनोज कुमार सिंह	प्रमुख सचिव, नगर विकास	इलाहाबाद
24	मोनिका एस0गर्ग	प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार	झाँसी
25	एम0वी0एस0 रामी रेड्डी	प्रमुख सचिव, सहकारिता	मुजफ्फरनगर
26	डिम्पल वर्मा	प्रमुख सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना	शाहजहाँपुर
27	डा0 प्रशान्त त्रिवेदी	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	गोरखपुर
28	मनोज सिंह	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण	इटावा
29	अमित मोहन प्रसाद	प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान	मथुरा
30	सुरेश चन्द्रा	प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन	खीरी
31	संजय आर0 भूसरेड्डी	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	महाराजगंज
32	अनिल कुमार-द्वितीय	श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर	संतरविदास नगर
33	हिमांशु कुमार	प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन	देवरिया
34	रजनीश गुप्ता	सदस्य (न्यायिक),राजस्व परिषद, लखनऊ	कुशीनगर
35	जितेन्द्र कुमार	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन एवं संस्कृति	फिरोजाबाद
36	सुधीर महादेव बोबडे	प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास एवं पशुधन	जौनपुर
37	अनीता सिंह	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई	अमरोहा
38	सुधीर गर्ग	प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	अलीगढ़
39	संध्या तिवारी	सचिव, माध्यमिक शिक्षा	बलरामपुर
40	निवेदिता शुक्ला वर्मा	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद	सीतापुर
41	अनुराग श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	चन्दौली
42	जयन्त नार्लिकर	विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं अतिरिक्त निदेशक एस0जी0पी0 जी0आई0	हरदोई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

43	पंकज कुमार	मिशन निदेशक, एन0एच0एम0	बिजनौर
44	प्रीति शुक्ला	विशेष सचिव, लोक निर्माण	मऊ
45	भुवनेश कुमार	सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा तथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम	मुरादाबाद
46	संतोष कुमार यादव	सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	हापुड़
47	कर्ण सिंह चौहान	सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग	सम्भल
48	मुकेश कुमार मेश्राम	सचिव, आयुष	बहराइच
49	धीरज साहू	आयुक्त, आबकारी	बदायूँ
50	अजय चौहान	आयुक्त, आवास विकास परिषद	फैजाबाद
51	वी0 हेकाली झिमोमी	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सन्तकबीर नगर
52	समीर वर्मा	सचिव, लोक निर्माण	सिद्धार्थनगर
53	डा0 हरिओम	सचिव, सामान्य प्रशासन	अम्बेडकर नगर
54	कामिनी चौहान रतन	आयुक्त, वाणिज्य कर	अमेठी
55	आलोक कुमार-तृतीय	आयुक्त, खाद्य एवं रसद	प्रतापगढ़
56	आकाश दीप	निदेशक, पंचायती राज	हमीरपुर
57	सन्तोष कुमार राय	परियोजना प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्रीय विकास प्राधिकारी, उ0प्र0	बलिया
58	नीना शर्मा	सचिव, नियोजन	कानुपर देहात
59	मिनिष्ती एस0	अपर महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं निबंधन	जालौन
60	पी0 गुरू प्रसाद	आयुक्त, परिवहन	गाजीपुर
61	दिनेश चन्द्र	विशेष सचिव, कारागार	महोबा
62	के0रवीन्द्र नायक	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर	एटा
63	महेन्द्र कुमार	अपर आयुक्त, आवास विकास परिषद	रामपुर
64	अनिल कुमार सागर	सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण	बॉदा
65	रणवीर प्रसाद	सचिव, नगर विकास	कासगंज
66	अलकनन्दा दयाल	सचिव, वित्त	गोण्डा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

67	मनीषा त्रिघाटिया	सचिव, बेसिक शिक्षा	कौशाम्बी
68	शशि भूषण लाल सुशील	सचिव, खाद्य एवं रसद	औरैया
69	संजय कुमार	सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त	ललितपुर
70	चन्द्र पाल सिंह	सचिव, समाज कल्याण	मैनपुरी
71	भगेलू राम शास्त्री	विशष सचिव, ए0पी0सी0 शाखा	हाथरस
72	प्रमोद कुमार	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0	पीलीभीत
73	नरेन्द्र शंकर पाण्डेय	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा	शामली
74	डा0 बलकार सिंह	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण	चित्रकूट
75	रोशन जैकब	विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म	कन्नौज

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

नोडल अधिकारियों के लिए जनपद भ्रमण के दौरान समीक्षा बैठक/निरीक्षण हेतु एजेण्डा बिन्दु

क्र0 सं0	योजना का नाम	नोडल विभाग
1	जघन्य अपराधों में कार्यवाही की समीक्षा	गृह
2	निरोधात्मक कार्यवाही की स्थिति	
3	महिला अपराधों में कार्यवाही की समीक्षा	
4	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध	
5	यातायात व्यवस्था व नियमों के अनुपालन की समीक्षा	
6	लंबित विवेचनाओं व वांछित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा	
7	थाना समाधान दिवस	
8	संगठित अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा	
9	एंटी रोमियों स्क्वायड/फुट पेट्रोलिंग की समीक्षा	
10	डायल 100 के कार्यों व शिकायतों की समीक्षा	
11	इनामी अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा	
12	कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं व प्रमुख त्यौहारों की तैयारी की समीक्षा	
13	कर-करेत्तर	वित/राजस्व
14	भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही	राजस्व
15	राजस्व वादों का निस्तारण	
16	लोकवाणी/जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाली राजस्व विभाग के सेवाओं की स्थिति	
17	बाढ़/सूखा/ओलावृष्टि/अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय	
18	तहसील समाधान दिवस	
19	चकबन्दी वादों का निस्तारण	
20	आई0जी0आर0एस0	मुख्यमंत्री कार्यालय एवं लोक शिकायत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

21	चिकित्सकों की उपस्थिति	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
22	दवाओं की उपलब्धता	
23	एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति	
24	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	
25	संस्थागत प्रसव	
26	टीकाकरण	
27	वेक्टर जनित रोग (डेंगू/जे0ई0/ए0ई0एस0) नियंत्रण कार्यक्रम	
28	अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति	
29	राज्य/14 वॉ वित्त आयोग	पंचायतीराज
30	समस्त छात्रवृत्ति योजना	समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/दिव्यांगजन सशक्तिकरण/महिला कल्याण
31	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (शादी अनुदान)	
32	समस्त पेंशन योजना	
33	181 महिला हेल्पलाइन योजना	महिला कल्याण
34	मा0 मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना	ग्राम्य विकास
35	मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	
36	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)	
37	मनरेगा	
38	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	
39	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	
40	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	खाद्य एवं रसद
41	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय (गेहूँ/धान/ मक्का/बाजरा)	
42	नई सड़कों का निर्माण	लोक निर्माण
43	ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्गों के अनुरक्षण की स्थिति	
44	सेतुओं का निर्माण	
45	सड़कों के गड्ढामुक्ति की स्थिति	
46	नगरीय स्ट्रीट लाईटिंग	नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
47	अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना	
48	अपशिष्ट प्रबन्धन	
49	नमामि-गंगे परियोजना	नगर विकास/पंचायती राज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

50	कक्षा-8 तक सभी छात्रों को किताबें/यूनीफार्म वितरण	बेसिक शिक्षा
51	छात्रों का नामांकन	
52	गन्ना भुगतान	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
53	रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति	ऊर्जा
54	ग्रामों का ऊर्जीकरण	
55	ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन	
56	सौभाग्य योजना	
57	पारदर्शी किसान सेवा योजना	कृषि
58	खाद/बीज इनपुट की उपलब्धता एवं वितरण	
59	ऋण माफी योजना	
60	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	
61	प्रधानमंत्री आवास योजना	ग्राम्य विकास/नगर विकास आवास एवं शहरी नियोजन
62	आई0सी0डी0एस0	बाल विकास एवं पुष्टाहार
63	ई-टेण्डरिंग	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स
64	50 लाख से अधिक लागत की अधूरी परियोजनाओं (सड़कों को छोड़कर) की स्थिति	नियोजन
65	अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही	भूतत्व एवं खनिकर्म
66	स्वच्छ भारत मिशन	नगर विकास/पंचायती राज
67	नहरों में टेल तक पानी पहुँचाना	सिंचाई एवं जल संसाधन
68	एक जनपद एवं उत्पाद योजना (ओ0डी0ओ0पी0)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
69	सामाजिक वनीकरण	वन
70	Investors meet के दौरान Sign हुए MOU का क्रियान्वयन	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।